323

THE TIMES OF INDIA (DELHI EDITION)
11 AUGUST 2018 (PAGE-15)

"Parallel Marketing System of LPG"

Issued in public interest by Ministry of Petroleum & Natural Gas, Government of India

In addition to Government oil companies, private parties can also market Liquefied Petroleum Gas (LPG) in the country by operating as parallel marketeers of LPG subject to their fulfilling the conditions prescribed in the LPG (Regulation of Supply and Distribution) Order, 2000 and complying with provisions of various other Acts and Orders as applicable. It has come to the knowledge of MoPNG that a few unscrupulous private parties are operating in contravention to Acts and Orders applicable for their operations as parallel marketeer. Accordingly in the general interest of the public, the following points are informed:

a) Ministry of Petroleum & Natural Gas (MOPNG) does not issue any license to any private party for operating as a parallel marketeer.

b) Private parties are required to obtain and periodically renew rating certificate from any of the four rating agencies mentioned in the LPG (Regulation of Supply and Distribution) Order, 2000. These rating agencies award the rating on four scales namely Good, Satisfactory, Low Risk and High Risk. The rating awarded is an indicative measure of the party's capability to carry out the business.

c) A number of parallel marketeers may be selling LPG/Auto LPG to end users without valid rating certificate. It may be noted that the parallel marketeers are required to indicate their rating in words i.e. Good, Satisfactory, Low Risk and High Risk, whichever is applicable, on any advertisement in newspaper, pamphlet, handout, leaflet etc. and also prominently publish the rating certificate, as given by the rating agency.

d) MOPNG does not have any role to play in case of violation by any parallel marketeer of its obligation under commercial contract signed between it and its distributor/customer. Further MOPNG is not responsible in any way for any amount paid by any individual to any parallel marketeer of LPG or its distributor for any reason whatsoever.

This notice is published to enable the general public to take an informed decision regarding parallel marketing of LPG and be wary of false promises made, if any, by a parallel marketeer.

davp 33101/11/0004/1819

दैनिक जागरण (दिल्ली)
11 अगस्त 2018 (पृष्ठ-13)

322

द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (एलपीजी) की समानांतर विपणन प्रणाली

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा सार्वजनिक हित में जारी

सरकारी तेल कंपनियों के अतिरिक्त, निजी पार्टियां द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (प्रदाय और वितरण विनियम), आदेश 2000 में निर्धारित शर्तों को पूरा करके और लागू होने वाले विभिन्न अन्य अधिनियमों और आदेशों के प्रावधानों का पालन करके एलपीजी के समानांतर विपणक के रूप में देश में द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (एलपीजी) का विपणन कर सकती हैं। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के संज्ञान में आया है कि कुछ बेईमान निजी पार्टियां समानांतर विपणक के रूप में उनके संचालन के लिए लागू अधिनियमों और आदेशों के उल्लंघन में काम कर रही हैं। तदनुसार, जनता के सामान्य हित में, निम्नलिखित बिन्दुओं को सूचित किया जताा है:

क) पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय (एमओपीएनजी) समानांतर विपणक के रूप में परिचालन के लिए किसी भी निजी पार्टी को कोई लाइसेंस जारी नहीं करता है।

ख) निजी पार्टियों को द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (प्रदाय और वितरण विनियम) आदेश, 2000 में उल्लिखित चार रेटिंग अभिकरणों में से किसी एक से रेटिंग प्रामण पत्र प्राप्त करने और समय-समय पर नवीनीकरण कराने की आवश्यकता होती है। ये रेटिंग अभिकरण चार पैमाने पर अर्थात अच्छी, समाधानप्रद, कम जोखिम और अधिक जोखिम रेटिंग प्रदान करती हैं। पार्टी को प्राप्त रेटिंग व्यापार करने की उसकी क्षमता का एक संकेतक है।

ग) कुछ समानान्तर विपणक वैध रेटिंग प्रमाण पत्र के बिना ही उपभोक्ताओं को एलपीजी/ऑटो एलपीजी बेच रहे हो सकते हैं। कृपया ध्यान दे कि समानान्तर विपणकों को समाचार-पत्र, लघुपत्रिका, पम्फलेट पर्चियों आदि में किसी भी विज्ञापन पर अपनी रेटिंग शब्दों, अर्थात अच्छी, समाधानप्रद, कम जोखिम और अधिक जोखिम में इंगित करना आवश्यक है और रेटिंग अभिकरण द्वारा दिए गए रेटिंग प्रमाणपत्र को सहज रूप से प्रकाशित भी करना आवश्यक है।

घ) समानांतर विपणक द्वारा उसके और उसके वितरक/ग्राहक के बीच हुए वाणिज्यिक अनुबंध का उल्लंघन करने की स्थिति में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की कोई भूमिका नहीं है। इसके अलावा, मंत्रालय किसी भी व्यक्ति द्वारा किसी भी कारण से समानान्तर विपणक या उसके वितरक को भुगतान की गई राशि के लिए जिम्मेदार नहीं है।

इस नोटिस से आम जनता को एलपीजी के विपणन के बारे में एक सूचित निर्णय लेने में सक्षम बनाना है और समानान्तर विपणक द्वारा किए गए किसी भी झूठे वादों, यदि कोई किया गया है, से सावधान रखना है।

डीएवीपी 33101/11/0004/1819